भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5692
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सिगाची औद्योगिक दुर्घटना के बाद भेषज निर्यात में सुधार

5692. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना में सिगाची इंडस्ट्रीज में 1 जुलाई, 2025 को हुए विस्फोट में 36 श्रमिकों की मृत्यु हो जाने के बाद भारत के भेषज निर्यात, जिसका मूल्य वित्त वर्ष 2024-25 में 30 बिलियन डॉलर था, पर पड़ने वाला मात्रात्मक प्रभाव क्या है और प्रमुख आयातक राष्ट्रों के साथ राजनयिक स्तर पर सूचनाओं के संप्रेषण का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्त वर्ष 2021-22 में तेलंगाना के भेषज निर्यात के 4.66 बिलियन डॉलर होने को ध्यान में रखते हुए इस औद्योगिक दुर्घटना के बाद प्रमुख भेषज निर्यात स्थलों के विनियामक प्राधिकरणों को पुनः आश्वस्त करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय क्या हैं;

(ग) दुर्घटना के बाद दवाओं की स्वीकृति के निलंबन या भारतीय विनिर्माण सुविधाओं की और सघन जांच को रोकने के लिए भारतीय भेषज का आयात करने वाले देशों के साथ क्या द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं आयोजित की गई हैं;

(घ) तेलंगाना में विनिर्माण सुरक्षा मानकों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों द्वारा दर्ज कराई गई चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय मिशनों और भेषज निर्यात संवर्धन परिषद के बीच स्थापित समन्वय तंत्र क्या है; और

(ङ) राजनयिक जटिलताओं को रोकने और दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा आपूर्तिकर्ता बने रहने के लिए भेषज निर्यात इकाइयों में उन्नत संरक्षा नयाचारों को कार्यान्वित करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): हालांकि तेलंगाना में सिगाची औद्योगिक दुर्घटना विस्फोट से स्थानीय स्तर पर व्यवधान उत्पन्न हुआ है, लेकिन भारत का समग्र औषध निर्यात सुदृढ़ बना हुआ है। कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत का औषध निर्यात 27.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर कैलेंडर वर्ष 2025 में 30.45 बिलियन अमेरिकी

डॉलर हो गया, जो लगभग 9.7% की वृद्धि दर्शाता है और भारत के औषध निर्यात प्रदर्शन में निरंतर विस्तार का संकेत दर्शाता है।

सरकार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के माध्यम से, भारतीय औषध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियों को लागू करना जारी रखती है।

सरकार सतत बाजार पहुंच, व्यापक आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्य समूहों, फास्ट ट्रैक तंत्रों, संयुक्त आयोग की बैठकों और संयुक्त व्यापार समितियों सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से नियमित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता करती है। इन वार्ताओं का उद्देश्य व्यापार संबंधी प्रश्नों का समाधान करना, एकतरफा कार्रवाइयों या गैर-टैरिफ बाधाओं को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि एकाकी औद्योगिक घटनाएं समग्र व्यापार प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें।

निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियों और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों सहित सरकार, सुरक्षा या अनुपालन संबंधी समस्याओं के उत्पन्न होने पर समन्वय स्थापित करती है और निर्यातकों से आवश्यक सूचनाओं और अनुपालन दस्तावेजों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाती है ताकि ऐसी चिंताओं/समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

सभी कारखानों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के अन्तर्गत सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण और विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाते हैं ताकि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
